रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 1999/श्रावण 7, 1921

No. 463] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 1999/SRAVANA 7, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1999

का. आ. 610 (अ).—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3 के उपखण्ड (ii) में का. आ. सं. 124 (अ), दिनांक 22 फरवरी, 1991 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना के क्रम में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जो एक सांविधिक प्राधिकरण है, के अधिकारी के नाते और सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी के ओहदे के बराबर, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और उक्त सारणी के कालम (2) में यथानिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की स्थानीय सीमाओं, जिन के सम्बन्ध में उक्त सम्पदा अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करेगा, को परिभाषित करती है।

सारणी

अधिकारी का नाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
डा. वाई. के. जोशी, अपर प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन परिसर

[फा. सं. वी-16020/44/97-एमई (पीजी)]

रेणु साहनी धर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 1999

S.O. 610 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersesion of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Sub-section (ii) of Section 3, vide number S.O. 124(E) dated the 22nd February, 1991, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being officer of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, a statutory authority, and being equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officer for the purpose of the said Act, and defines the local limits of Public premises as specified in Column (2) of the said Table, in respect of which, the said estate officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Dr. Y. K. Joshi, Additional Professor, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	Premises of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi under its control.

[F. No.V-16020/44/97-ME (PG)]

RENU SAHNI DHAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road. Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.